बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2014 में ऑन लाइन आवेदन हेतु सामान्य दिशा निर्देश

बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2014 हेतु निर्गत शासनादेश सं0 824/15–11–2015–2067/2013 दिनांक 07.07.2015 के अनुपालन में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2014 में संस्था की 50 सीटों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इस हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी दिनांक 21/09/2015 से वेबसाइट www.vkjaincollege.com के लिंक Apply Online B.T.C. - 2014 पर ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑन लाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2014 हेतु केवल उ0प्र0 के निवासी अभ्यर्थी ही ऑन लाइन आवेदन कर सकेंगे। उ0प्र0 के अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र अभिलेखीय जांच/काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

पात्रता/ शैक्षिक अर्हता

बी0टी0सी0 प्रशिक्षण–2014 में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे, जो उ0प्र0 के निवासी हों तथा जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र 0 इलाहाबाद एवं CBSE (सी.बी.एस.ई.) से मान्यता प्राप्त बोर्डो/संस्थानों से हाईस्कूल व उसके समकक्ष तथा इन्टर व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी। यू0जी0सी0 द्वारा फर्जी तथा अमान्य घोषित की गयी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से किसी भी स्तर (हाईस्कूल, इण्टर तथा स्नातक) की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी ने इण्टरमीडिएट परीक्षा के स्थान पर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो ऐसे अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे। प्रदेश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। एकरूपता की दृष्टि से एक वर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

आयु – आवेदन हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2014 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट न होगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की सामान्य छूट होगी। विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट नियमानुसार ''यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गयी सेवा की सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटायी गयी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जाता है कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है।'', देय होगी।

चयन की प्रक्रिया– i. बी0टी0सी0 प्रशिक्षण–2014 हेतु चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुये श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी तथा वरीयताक्रम में वर्ग/श्रेणीवार चयन की कार्यवाही की जायेगी। गुणांक के आगणन में प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के दो अंकों में पूर्णांकित (round off) किया जायेगा। चयन के समय यदि एक ही वर्ग/श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के गुणांक बराबर आते है तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। गुणांक तथा आयु भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थी के नाम अनुसार वरीयता दी जायेगी। ii. इण्टर विज्ञान वर्ग/कृषि वर्ग से उत्तीर्ण करने के पश्चात बी0एस0सी0, बी0एस0सी0(एजी0), बी0एस0सी0(गृह विज्ञान), बी0टेक0 एवं बी0सी0ए0 आदि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी माने जायेंगे। iii. बी0ए0, बी0कॉम0, बी0बी0ए0 एवं इण्टर कला वर्ग से उत्तीर्ण करने के पश्चात बी0सी0ए0 उपाधिधारकों को कला वर्ग में रखा जायेगा। iv. उक्त के अतिरिक्त यदि किसी स्नातक उपाधि के सम्बंध में यह स्पष्ट न हो कि वह कला वर्ग के अन्तर्गत आती है या विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत आती हैं, तो ऐसे स्नातक उपाधिधारी अभ्यर्थियों के वर्ग का निर्धारण उनके इण्टरमीडिएट परीक्षा के वर्ग के आधार पर किया जायेगा। प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों की अभिलेखीय जॉच शासनादेशानुसार की जायेगी। प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा काउन्सलिंग में अर्ह तथा अनर्ह पाये गये सभी अभ्यर्थियों की सूची महाविद्यालय के

सूचनापट पर चस्पा की जायेगी तथा इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। काउंसिलिंग का अर्थ प्रवेश की सुनिश्चितता नही है प्रवेश मेरिट के आधार पर रिक्तियों के सापेक्ष होगा। प्रवेश के दौरान उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को प्राचार्य द्वारा प्रवेश का एक अन्तिम अवसर देने के बाद वर्गवार/श्रेणीवार रिक्त सीटों के प्रति मेरिट के अवरोही क्रम में प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी तथा यह प्रक्रिया तब तक सम्पादित की जायेगी जब तक सम्पूर्ण सीटों पर प्रवेश नही हो जाता। साथ ही किसी वर्ग/ श्रेणी विशेष की सीट रिक्त रहने पर उसको दूसरे वर्ग/ श्रेणी विशेष की सीट में समायोजित किया जा सकता है। काउन्सलिंग के समय उपस्थित होने पर सभी मूल अभिलेख (अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियों), फोटो आईडी (जिसका उल्लेख ऑनलाइन आवेदन के समय किया हो) सहित निर्धारित तिथियों को आना अनिवार्य होगा। e–आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद के निर्गत शैक्षिक अंकपत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र काउन्सलिंग के समय स्वीकार्य नही होंगे। काउन्सलिंग के समय अभ्यर्थी को उ0प्र0 में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित की गयी सूचना से भिन्न सूचना को स्वीकार्य नही किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई प्रत्यावेदन लिया जायेगा। v. ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्टियाँ अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण सावधानी के साथ भरी जानी चाहिये क्योंकि यही चयन का आधार है। vi. यदि किसी अभ्यर्थी की अंकतालिका में प्राप्तांक/पूर्णांक के स्थान पर ग्रेड प्वाइंट का उल्लेख हो तो ऐसे अभ्यर्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय से ग्रेड प्वाइंट के प्रतिशत में कनवर्जन का फार्मूला ज्ञात कर तद्नुसार प्रतिशत निकाल लेंगें तथा प्रतिशत को अंकों में परिवर्तित कर पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख करेंगे। पूर्णांक एवं प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत वही आना चाहिए जो ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में कनवर्जन करने पर आता है। ऐसे अभ्यर्थियों को कुल सचिव/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड प्वाइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (फॉर्मूला) अभिलेखीय जांच/काउन्सलिंग के समय साथ लाना होगा। vii. अभिलेखीय जांच/काउन्सलिंग के समय अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में यह शपथपत्र दिया जायेगा कि यदि उसके द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण/असत्य है, तो न केवल उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा, अपितु उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा यह भी घोषणा की जायेगी कि आवेदन पत्र प्रेषण की तिथि को उसके पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंकपत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद की तिथि का निर्गत कोई भी अंकपत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जांच के समय अभ्यर्थी को अपनी पहचान (Identity) के प्रमाण के रूप में मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, बैंक की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त राशन कार्ड, यू0आई0डी0 में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। viii. प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थियों को रू0 10/– के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथपत्र अपने रंगीन फोटो (जो नोटरी से प्रमाणित हो) सहित प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को अनिवार्य रूप से देना होगा कि वह वास्तव में उत्तर प्रदेश के .... जनपद का निवासी है, उसके द्वारा आवेदन पत्र और जांच प्रपत्र में भरा गया विवरण सत्य है, चयन/प्रशिक्षण/प्रशिक्षणोपरान्त किसी भी स्तर पर कोई सूचना गलत पाये जाने अथवा फर्जी पाये जाने अथवा चयन त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

Help line no. 9410890841, 9412734179, 9719797511, 7409075622

Phone: 05744-247210, E-mail ID: vkjaincollege@gmail.com, pgupta503@gmail.com